भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4994

(01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बारहमासी ग्रामीण सड़कें

4994. श्री नलिन सोरेन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बारहमासी सड़कों के माध्यम से ग्रामीण सड़क को पूरी तरह से जोड़ने के लिए निर्धारित तीन वर्षीय लक्ष्य को योजना के तीसरे चरण तक प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के सभी राज्यों, विशेषकर झारखंड राज्य में ऐसे घरों का अनुमानित प्रतिशत क्या है जिन्हें इस योजना के अंतर्गत अभी भी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना शेष है;

(ग) क्या यह योजना देश के विभिन्न जिलों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है; और

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-I) को वर्ष 2000 में आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य जनगणना 2001 के अनुसार निर्धारित जनसंख्या आकार के पात्र संपर्क रहित बसावटों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्क प्रदान करना था।

वर्ष 2013 में, पीएमजीएसवाई-II को विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 50,000 किलोमीटर के उन्नयन के लक्ष्य के साथ चयनित थ्रू रूटों और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों (एमआरएल) के उन्नयन के लिए शुरू किया गया था।

तत्पश्चात, वर्ष 2016 में, पीएमजीएसवाई के तहत एक अलग कार्यक्रम के रूप में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण/उन्नयन के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना(आरसीपीएलडब्ल्यूईए) शुरू की गई थी।

वर्ष 2019 में, सरकार ने 1,25,000 किलोमीटर के थ्रू रूटों और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों के माध्यम से बसावटों को अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) , उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों के साथ जोड़ने के लिए पीएमजीएसवाई-III का आरंभ किया।

माननीय प्रधानमंत्री ने झारखंड के खूंटी जिले में 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) का शुभारंभ किया। पीएम-जनमन के सड़क संपर्क घटक के तहत, पुलों सहित 8,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण 15 राज्यों में किया जाना है, जिसकी लागत 1.00 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर है।

पीएमजीएसवाई के चरण- IV को सितंबर 2024 में 25,000 संपर्क रहित ग्रामीण बसावटों, जो अपनी जनसंख्या वृद्धि (जनगणना 2011 के अनुसार) के मद्देनजर पात्र हो गए हैं , को बारहमासी संपर्कता प्रदान करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

पीएमजीएसवाई की शुरुआत से लेकर 27 मार्च 2025 तक कुल 8,34,879 किलोमीटर लंबी सड़क को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 7,76,229 किलोमीटर (93%) सड़क लंबाई का निर्माण योजना के विभिन्न कार्यकलापों/कार्यक्षेत्रों के तहत किया गया है। इसके अतिरिक्त , पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत स्वीकृत बसावटों में से 99.7% पात्र और व्यवहार्य बसावटों को सड़क संपर्क मुहैया करा दिया गया है।

(ख) पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत दिनांक 27.03.2025 की स्थिति अनुसार स्वीकृत, सड़कों से जोड़ी गई और शेष बसावटों का राज्यवार ब्यौरा (झारखंड सहित) **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ) नीति आयोग, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएम-ए), विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) पर विभिन्न स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं , जिसने निष्कर्ष निकाला है कि पीएमजीएसवाई ने ग्रामीण जनता के लिए बाजार तक बेहतर पहुंच बनाने में मदद की है और विभिन्न प्रकार के रोजगार पैदा किए हैं। इसने क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने में भी मदद की है। इस प्रकार , इसने गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में मदद की है। इस योजना ने कृषि , स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरीकरण और रोजगार सृजन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। पीएमजीएसवाई ने विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों के लिए एक सुविधाकर्ता और अग्रदूत के रूप में उभरकर सभी राज्यों के ग्रामीण लोगों को बहुत सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है।

सभी स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी ऑनलाइन कार्यक्रम निगरानी सूचना प्रणाली अर्थात ऑनलाइन प्रबंधन , निगरानी और लेखांकन प्रणाली (ओएमएमएएस) के माध्यम से वास्तविक समय आधार पर की जा रही है। इसके अलावा , राज्यों के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम) , निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों , पूर्व-अधिकार प्राप्त/अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। जिला स्तर पर माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता वाली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) पीएमजीएसवाई सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। उपरोक्त के अलावा , योजना की प्रगति का जायजा लेने तथा अड़चनों , यदि कोई हो, को दूर करने के उद्देश्य से

सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव , ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें/मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4994 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत दिनांक 27.03.2025 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत, निर्मित और शेष बसावटों (जनसंख्या श्रेणी 250+ और 100-499) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत		निर्मित		शेष	
		250+	100-249	250+	100-249	250+	100-249
1	अंडमान और निकोबार	7	0	7	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1,234	201	1,224	198	10	3
3	अरुणाचल प्रदेश	641	0	611	0	30	0
4	असम	13,721	0	13,719	0	2	0
5	बिहार	29,969	1,426	29,867	1,403	102	23
6	छत्तीसगढ़	9,736	1,188	9,596	1,026	140	162
7	गोवा	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	3,048	0	3,048	0	0	0
9	हरियाणा	1	0	1	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	2,562	0	2,541	0	21	0
11	जम्मू और कश्मीर	2,140	0	2,132	0	8	0
12	झारखंड	9,536	1,397	9,536	1,397	0	0

13	कर्नाटक	296	0	296	0	0	0
14	केरल	404	0	402	0	2	0
15	मध्य प्रदेश	17,529	12	17,528	11	1	1
16	महाराष्ट्र	1,346	74	1,342	74	4	0
17	मणिपुर	652	0	622	0	30	0
18	मेघालय	601	0	583	0	18	0
19	मिजोरम	232	0	231	0	1	0
20	नागालैंड	109	0	107	0	2	0
21	ओडिशा	15,313	1,688	15,307	1,684	6	4
22	पंजाब	389	0	389	0	0	0
23	राजस्थान	14,023	0	14,023	0	0	0
24	सिक्किम	350	0	350	0	0	0
25	तमिलनाडु	1,985	0	1,985	0	0	0
26	त्रिपुरा	2,005	0	1,979	0	26	0
27	उत्तर प्रदेश	11,749	0	11,748	0	1	0
28	उत्तराखंड	1,864	0	1,849	0	15	0
29	पश्चिम बंगाल	13,078	150	13,078	150	0	0
30	तेलंगाना	595	109	595	107	0	2
31	लद्दाख	65	0	64	0	1	0
कुल		**155,180**	**6,245**	**154,760**	**6,050**	**420**	**195**

*****